न्यायालय माननीय म.प्र. राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण याचिका निग -1531-PBR-16

खेमचंद पिता किशनलालजी जैन, आयु 48 वर्ष, धंधा खेती निवासी बसफोड़ गली, भागसीपुरा, उज्जैन कृषक ग्राम चांदमुख तहसील व जिला उज्जैन

— याचिकाकर्ता / आवेदक

विरूद्ध

1— सिद्धनाथ पिता मांगीलाल, आयु 74 वर्ष लगभग, धंधा खेती, निवासी इन्दौरी मोहल्ला, कस्बा बिजलपुर, इंदौर, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.)

2— मनोहरलाल पिता मांगीलाल, आयु 67 वर्ष लगभग, धंधा खेती, निवासी इन्दौरी मोहल्ला, कस्बा बिजलपुर, इंदौर, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.)

3— घनश्याम पिता मांगीलाल, आयु 62 वर्ष लगभग, धंधा खेती, निवासी म.नं. 117, व्यास नगर, ऋषिनगर के पास, उज्जैन (म.प्र.) — अनावेदकगण

श्री आर०एस० मोदी अधि० द्वारा उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत।
13-5-16

13.5.16

मननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय उज्जैन के प्रकरण क्र. 69/13—14 निगरानी में पारित विवाद्य आदेश दिनांकित 18—09—2015 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता।

दिनांक 06—12—2006 को जारी की। अनावेदकगण के मकान नंबर 117, स्थित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1531–पीबीआर/16 [रमेशचंद/विट्ठलनाथ] जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–10–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 28–9–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप उन्हें निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने, और आवेदक की ओर से सूचना उपरांत भी किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में समाप्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	